न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2022/359
मिसल नम्बर– 71 / 2022

1.मनोहरलाल यशवन्तानी पुत्र श्री केशवदास यशवन्तानी आयु 65 वर्ष जाति सिन्धी
2.श्रीमती हेमलता यशवन्तानी पत्नी श्री मनोहरलाल यशवन्तानी आयु 62 वर्ष जाति सिन्धी निवासीगण मकान नं0 335 शास्त्री नगर, दादाबाड़ी कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.आशीष यशवन्तानी पुत्र श्री मनोहरलाल यशवन्तानी आयु 30 वर्ष जाति सिन्धी निवासी 335 शास्त्री नगर दादाबाड़ी
2.श्रीमती प्रियंका बजाज पत्नी श्री आशीष यशवन्तानी पुत्री श्री प्रताप बजाज जाति सिन्धी निवासी मकान नं0 4 एल 13 महावीर नगर तृतीय कोटा हाल निवासी 335 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक...26/8/25

उपस्थितिः–

1.श्री वीरेन्द्र कुमार राठौर अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2.श्री योगेन्द्र कुमार गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी नं0 1
3.श्री राकेश मामनानी अधिवक्ता अप्रार्थी नं0 2

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेष हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण पति –पत्नी है जो वृद्ध है एवं वरिष्ठ भागरिक है जिनका स्वअर्जीत मकान नम्बर 335, शास्त्री नगर, दादाबाडी, कोटा राज० में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण व प्रत्यार्थी क्रम–1 व 2 एंव पुत्री मनीषा यशवन्तानी निवास करते आ रहे है। दिनांक– 19.04.2019 को प्रत्यार्थी कम–1 का विवाह प्रत्यार्थी क्रम–2 के साथ हिन्दू रेति रिवाजो के अनुसार कोटा में ही सम्पन्न होने के पश्चात् प्रत्यार्थी क्रम–1, प्रत्यार्थी क्रम–2 को विदा करा कर अपने माता–पिता के निवास स्थान पर लेकर आया तथा प्रत्यार्थीगण, प्रार्थीगण के साथ मात्र 30 दिन ही एक साथ रहे, उक्त 30 दिनों में प्रत्यार्थी क्रम–2, प्रार्थीगण से लडती झगडती रही और अपने कार्य स्थल राजकोट में प्रत्यार्थीगण चले गये और लगभग 400 दिन साथ रहे, साथ रहने के दौरान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

आपस में लडते झगडते रहे । प्रत्यार्थीगण के एक पूत्र भी है जो एक वर्ष का हो गया है। प्रत्यार्थी कम–1 एलन इनस्टिट्यूट राजकोट में 1,70,000/– रूपये मासिक देतन पर कार्यरत था एवं प्रत्यार्थी कम–2 प्रियंका बजाज आईसीआईसीआई बैंक राजकोट में लगभग 60,000/– रूपये मासिक वेतन पर कार्यरत थी। वर्तमान में प्रत्यार्थीगण कोटा में कार्यरत है। प्रत्यार्थी कम–2 अपने माता – पिता के बहकावे में आकर प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करती है, घर का कोई कार्य नही करती एवं दुरव्यवहार करती है तथा अपने माता–पिता को भी बुलाकर प्रार्थीगण के साथ झगडा करते है इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण को भारी मानसिक एवं शारीरिक आघात हुआ है और समाज में नीचा देखना पडा है इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा दिनांक– 17.3.2021 को पुलिस अधिक्षक कोटा शहर को शिकायत प्रस्तृत की थी जिस पर प्रत्यार्थी कम–2 व उसके माता–पिता को पाबन्द किया गया था इसके उपरान्त प्रत्यार्थी कम–2 जो कि अपने माता–पिता के साथ उनके निवास स्थान महावीर नगर तृतीय में रहती थी जहाँ से फोन व वाट्सप द्वारा जान से मारने की धमकी देना, चूरी वूरी गालियाँ देने का कृत्य करती रही है।दिनांक 23.05.22 को प्रत्यर्थी कम–2 अपने माता – पिता श्रीमती उषा बजाज एवं प्रताप बजाज व अन्य 10–15 व्यक्तियों व दो बल शाली महिलाओं के साथ प्रार्थीगण के घर जबरन घुसे व प्रत्यार्थी कम–2 को घर में घुसाया और दो बलशाली महिलाऐ घर में घुस गई व अन्य लोग भी घर में घूस आये व तोड फोड की, केमरा तोड़ दिया डिस्क तोड दी, मारपीट की और सामान लूट कर ले गये जिसकी शिकायत प्रार्थीया ने थाना दादाबाडी कोटा में की जिस पर कोई कार्यवाही न होने पर दिनांक–24.5.2022 को पुलिस अधिक्षक कोटा शहर को परिवाद पेश किथा व उसके उपरान्त एक इस्तगासा प्रत्यार्थी कम–2 व उसके माता–पिता व अन्य 10–15 व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय एसीजेएम कम–2 कोटा में धारा–323,341,392,394 आईपीसी के तहत प्रस्तुत किया जिसके उपरान्त प्रत्यार्थी कम–2 ने प्रार्थीगण के साथ दुव्यवहार किया व मारपीट की इसके अलावा खाना नही बनाने देना, प्रार्थीगण को भूखे रखना तथा अन्य तरिके से प्रारथींगण को प्रताडित कर मानसिक व शारीरिक वेदनाये पहुँचाना शुरू कर दिया जिसकी शिकायत प्रार्थीगण ने पुलिस अधिक्षक कोटा शहर कोटा को दिनांक–12.6.22 को की। प्रत्यार्थी कम–1, प्रत्यार्थी कम–2 के प्रभाव में है और प्रत्यार्थी कम–2 व उसके माता–पिता के कृत्यों में साथ देता है और प्रार्थीगण की कोई सुरक्षा नही करता है , हारी बीमारी में भी कोई देखभाल नही करता है और ना ही कोई भरण पोषण आदि देता है और ना ही हमारी कोई सुरक्षा नही करता है। प्रार्थीगण वृद्ध है एवं बीमार रहते है, प्रार्थीगण को प्रत्यार्थीगण मकान से बेदखल करना चाहते है व उक्त मकान को अपने नाम हस्तान्तरण करवाना चाहते है व बेचने पर आमादा है एवं प्रार्थीगण को बेघर करना चाहते है। प्रार्थी कम–1 रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है, प्रार्थी कम–2 गृहणी है, प्रार्थीगण के साथ पुत्री मनीषा भी निवास करती है जिनके पास आय का कोई साधन नही है मात्र पेंशन आती है जिसमे खर्चा नही चलंता है तथा प्रार्थीगण अपने मकान को किराये पर देना चाहते है जिससे आय हो सके, प्रत्यार्थीगण उक्त मकान को किराये पर भी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

नही देने देते है, प्रार्थीगण को भरण पोषण हेतु लगभग 50,000/– रूपये की आवश्यकता है जिसमे नल, बिजली का बिल आदि का खर्चा भी उठाना पडता है व दवाईयों का खर्चा भी उठाना पडता है। जबकि प्रत्यार्थीगण को हर माह ढाई लाख रूपया मासिक वेतन प्राप्त होता है जिसमे प्रार्थीगण को खर्चा राशि 50,000/– रूपये देने में सक्षम है जो प्रार्थीगण को दिलवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थिगण को प्रत्यार्थीगण से दौराने मुकदमा अन्तरिम भरण पोषण राशि भी दिलवाया जाना आवश्यक है, अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि प्रार्थीगण को प्रत्यार्थीगण से भरण पोषण राशि व खर्चा 50,000/– रूपया दिलवाया जावे एवं प्रत्यार्थीगण को प्रार्थीगण के मकान से बेदखल करने का आदेश फरमावे एवं प्रार्थीगण को प्रत्यार्थीगण से जान का खतरा होने के कारण उनसे सुरक्षा प्रदान करने के आदेश फरमावे एवं प्रत्यार्थीगण, प्रार्थीगण को उनके मकान से बेदखल न करने का आदेश फरमावे तथा ताफैसला मुकदमा प्रार्थीगण को प्रत्यार्थीगण से अन्तरिम भरण पोषण राशि दिलवाई जावे एवं अन्य न्यायोचित अनुतोष भी प्रत्यार्थीगण से दिलवाई जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उत्तरदाता एलन में कार्यरत होना तथा वेतन 170000/– रूपये मासिक होना स्वीकार है एवं प्रत्यार्थी कम 2 का आईसीआईसीआई बैंक कोटा में सेवारत होना एवं लगभग 60000/– रूपये मासिक वेतन होना स्वीकार है। प्रात्यार्थी कम 2 वर्ष 2018 से कार्यरत है। वास्तविकता यह है कि प्रतिपक्षी कम 2 व प्रार्थी कम 2 में घर के कार्य के संबंध में लडाई झगड़ा रहता है, प्रत्यार्थी कम 2 अपने माता–पिता के बहकावे में आकर प्रार्थीगण व बहिन मनीषा के साथ लडाई झगड़ा एवं क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती है। मैं इन्हें आपस में समझाता हूँ लेकिन मेरे माता पिता एवं प्रत्यर्थी कम 2 (मेरी पत्नी) समझने को तैयार नहीं है व कोई कोशिश नहीं करते है। मैं उत्तरदाता अपनी पत्नी (प्रत्यार्थी कम 2) के साथ अलग किराये के मकान में रहने को तैयार हूँ ताकि मेरे माता पिता एवं पत्नी के बीच प्रेम, सामनजस्य एवं शान्ति बनी रहे। उत्तरदाता अपने माता पिता, बहिन एवं परिवार के कर्तव्यों को समझाता है, अपना उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारी पूर्ण कर रहा है एवं भविष्य में भी अपने माता पिता व परिवार का पूर्ण ध्यान एवं सेवा सुश्रषा करता रहेगा। प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षीगण वर्तमान में अपने माता पिता के साथ ही निवास कर रहे है। जब भी प्रतिपक्षीगण का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जायेगा तो उसी स्थान पर रहने लग जावेगें। आज भी हमारे माता–पिता हमे उनके निजि मकान से अलग करना चाहते है तो हम किराये के मकान में रहने लग जायेगें। उत्तरदाता अपने माता पिता के स्वास्थय, सुरक्षा पर होने वाले खर्चो की हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार एवं तत्पर है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित है एवं येनकेन प्रकारेण परेशान करने की गरज से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। प्रतिपक्षी उत्तरदाता अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता के मकान में निवास कर रहे है, अगर माता पिता हमारे रहने से असंतुष्ट है तो हम पति–पत्नी अलग से किराये के मकान में रहने को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तैयार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त मकान प्रार्थी संख्या–1 मनोहरलाल व अप्रार्थी संख्या–1 आशीष यशवन्तानी (पिता–पुत्र) की सयुंक्त आय एवं दादाबडी शास्त्री नगर में ही स्थित पुश्तैनी मकान को बैचान कर प्राप्त हुई आय को सम्मिलित कर क्रय किया गया हैं तथा उक्त मकान यू.आई.टी. द्वारा पूर्व में अन्य को विक्रय किया था, जिसके द्वारा उक्त मकान को अर्धनिर्मित स्थिति में बनाने पर प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सन् 2018–19 में क्रय कर उक्त मकान का सम्पूर्ण निर्माण किया गया, जिसमें 3 मंजिला भवन बना हुआ हैं तथा पूरे भवन में 4 फलेट (2 बैड रूम, कीचन सहित) तथा भू–तल पर बने हुऐ सम्पूर्ण परिसर में प्रार्थीगण व प्रत्यार्थीगण संयुक्त रूप से निवास करते चले आ रहे है। उक्त भवन के निर्माण के समय प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा वित्तिय संस्थान से ऋण लेकर मकान निर्माण किया था तथा उक्त ऋण की किश्ते आज भी प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अदा की जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर तथ्यों को छुपाते हुऐ उक्त मकान को स्वअर्जित बताया हैं, जो पूर्णतया गलत है। उक्त मकान में प्रार्थीगण के साथ साथ प्रार्थीगण की पुत्री मनीषा, प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 2 व डेढ वर्ष का पुत्र दर्श भी निवास करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 2 में अंकित तथ्य अनुसार दिनांक 19/04/2019 को प्रत्यर्थी संख्या 1 का विवाह प्रत्यर्थी संख्या–2 के साथ कोटा में सम्पन्न होने का तथ्य स्वीकार हैं, शेष तथ्य असत्य होने से एवं जिस तरह अंकन किये, अस्वीकार हैं। वास्तविक तथ्य यह है कि विवाह के समय प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित मकान नं0 335, शास्त्री नगर, पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ था एवं विवाह के समय प्रार्थीगण व उनका पुत्र दादाबाडी हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्कूल के पास, किराये के मकान में रहते थे, जहाँ पर प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2 करीब 02 दिन रहे तथा उसके बाद केरल घुमने चले गये, जहाँ से करीब 07 दिन के पश्चात् कोटा आकर 1 दिन रूकने के पश्चात प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 राजकोट गुजरात चले गये क्योंकि दोनो का नोकरी का कार्य स्थल तथा नियुक्ति राजकोट में ही थी। राजकोट में कुछ दिन रहने के पश्वातू प्रत्यर्थी संख्या–2 वापस कोटा आयी तो प्रार्थीगण ने कहा कि अभी मकान का फिनिसिंग कार्य व फर्निचर का कार्य पूरा नहीं हुआ हैं तथा किराये का मकान भी छोटा है, इस कारण तुम अपने पीहर में निवास कर लो, इस कारण प्रत्यर्थी संख्या–2 माह जून 2019 तक अपने पिता के घर में रही। प्रार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण का 400 दिन राजकोट में रहकर आपस में लडते झगडते रहने का तथ्य पूर्णतया रुप से असत्य होने से अस्वीकार हैं। राजकोट में नौकरी के दौरान प्रत्यर्थी संख्या–2 का वेतन मात्र 26,000/–रू प्रतिमाह था। प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा गर्भावस्था के समय मेटरनिटी लीव लेकर राजकोट से कोटा आने के समय माह अक्टूम्बर 2020 में प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा राजकोट से कोटा एलन इन्स्टीट्यूटमें अपना स्थानान्तरण करवा लिया गया एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा पुत्र दर्श के जन्म के पश्चात राजकोट जाकर उपस्थिति दर्ज करवा कर माह जनवरी 2022 से

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कोटा में अपना स्थानान्तरण करवा लिया हैं। प्रत्यर्थी संख्या–2 को उसके माता–पिता द्वारा किसी भी प्रकार से बहलाया–फूसलाया नहीं गया हैं एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 दारा कभी भी प्रार्थीगण के साथ लडाई–झगडा दुर्व्यवहार नहीं किया गया हैं एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 ने अपने माता–पिता को बुलाकर प्रार्थीगण के साथ झगड़ा नहीं किया हैं। दिनांक 17/03/2021 को प्रार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–2 के माता–पिता के विरुद्ध प्रस्तुत किसी परिवाद के सम्बन्ध में अथवा प्रत्यर्थी संख्या–2 के माता–पिता को पांबद किये जाने के सम्बक्ध में कोई जानकारी नहीं होने के कारण उक्त तथ्य अस्वीकार हैं। प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा फोन व व्हाट्स–अप से मारने की धमकी देना व बूरी–बूरी गालिया देने का तथ्य असत्य होने से पूर्णतया रूप से अस्वीकार है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट करना तथा खाना नहीं बनाने देना व प्रार्थीगण को भूखे रखना व प्रार्थीगण को प्रताडित कर शारीरिक व मानसिक वेदनाए पहूँचाने का तथ्य असत्य होने से पूर्णतया रूप से अस्वीकार हैं। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–2 को विवाह के बाद कोटा में निवास प्रारम्भ करने से ही प्रत्यर्थी संख्या–2 का दहैज हेतु प्रताडित किया जाता चला आ रहा है एवं लगातार रूप से प्रत्यर्थी संख्या–2 को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा हैं। प्रत्यर्थी संख्या 2 को परेशान करने की दुर्भावना से प्रार्थी संख्या 1 श्री मनोहरलाल प्रत्यर्थी संख्या 2 के रसोई में अकले कार्य करने के दौरान, रसोई में घूसकर प्रत्यर्थी संख्या–2 की मोबाईल से रिकोर्डिंग करता, जिसका विरोध करने पर प्रार्थी संख्या–1 रसोई के गेट पर व्यायाम करने का नाटक़ करता एवं बीचो बीच खडे होकर प्रत्यर्थी संख्या 2 को आने जाने में बाधा उत्पन्न करता था। जिसकी शिकायत प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी संख्या 2 श्रीमती हेमलता व अपने पति प्रत्यर्थी संख्या 1 तथा ननद मनीषा को करने पर सभी लोग सामुहिक रूप से प्रत्यर्थी संख्या 2 को ही दोष देते थे एवं प्रार्थी संख्या 1 मनोहरलाल को किसी प्रकार से नहीं समझाते थे, जिसकी वजह से प्रार्थी संख्या–1 मनोहरलाल का व्यवहार प्रत्यर्थी संख्या–2 के प्रति ओर कड़ा हो गया तथा आये दिन प्रत्यर्थी संख्या–2 को परेशान करने लगा। जिसकी जानकारी प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा अपने परिजनों को देने पर प्रत्यर्थी संख्या–2 के परिजन प्रार्थीगण के निवास स्थान पर समझाईश करने हतु उपस्थित हुऐ थे किन्तु प्रार्थीगण द्वारा समझाईश की वार्ता में बैठ्ने के बजाय गाली–गलोच करते हुऐ हंगामा कर झगडालू वातावरण पैदा कर दिया एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 व उसके परिजन को घर से बाहर निकल जाने हेतु कहा। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा असत्य तथ्य अंकित करते हुए माननीय न्यायालय को गुमराह करने की नीयत से यह प्रकरण प्रस्तुत किया है जो खारीज किये जाने योग्य है। प्रार्थी संख्या–1 सरकारी सेवा से सेवानिवृत कर्मचारी हैं, जिसे करीब 60,000/–रू मासिक रूप से पेशंन प्राप्त होती हैं एवं अपने मकान में स्थित परिसर को किराये पर देने से किराये के रुप में करीब 40,000/– रूपये प्राप्त होते है, इसके अलावा बारां शहर के इन्द्रा मार्केट में पुश्तैनी मकान तथा जयपुर में एक फ्लेट भी हैं, जिससे किराये के रूप में 30,000/– रू की राशि मासिक रूप से प्राप्त होती हैं। प्रार्थी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

एकाउन्टस् ऑफिसर की पोस्ट से सेवानिवृत हुआ है, जिसे एकाउन्टस् कार्यों से सम्बन्धित काफी जानकारी हैं तथा प्रार्थी संख्या–1 द्वारा निजी स्तर पर भी कई अन्य लोगो के एकाउन्टस् के कार्य सम्पादित किये जाते हैं, जिसके लिए प्रार्थी ने अपने मकान में ऑफिस भी पृथक से बना रखा हैं, जिसमें 2–3 कर्मचारी कार्य करते है तथा इस कार्य से भी करीब 1,00,000/– रू मासिक रूप से आय प्रार्थी संख्या 1 को स्वयं प्राप्त होती है। इसके अलावा सरकारी सेवा में होने के कारण ईलाज आदि में होने वाले खर्चो का पुर्न भरण भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। प्रार्थीगण की पुत्री मनीषा भाटीया एण्ड कम्पनी कोटा में एच. आर, के पद् पर कार्यरत हैं एवं ऑन लाईन तरीके से जोमेटो व हैलो वर्ल्ड कम्पनीयों का भी कार्य निष्पादित करती है, जिससे मनीषा को नियमित आय प्राप्त होती हैं। प्रार्थीगण को प्राप्त होने वाली आय के बारे में विस्तार से जवाब की चरण संख्या 6 में अंकित कर दिया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थीगण को मासिक रूप से 2,30,000/– रू नियमित रूप से प्राप्त होते है। प्रार्थीगण को नियमित रूप से प्रत्येक माह 2, 30,000/–रू की आय प्राप्त होती हैं एवं प्रार्थीगण आर्थिक रूप से सुद्रढ व सम्पन्न अवस्था में हैं। प्रार्थीगण अपने वरिष्ठ नागरिक होने का पूर्ण रूप से दुरूपयोग करते हुऐ प्रत्यर्थी संख्या–2 को येन–केन प्रकारेण मकान से भ्रामक तथ्य अंकित कर न्यायालय के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या–2 को बैदखल करवाने के उद्देश्य से यह प्रकरण प्रस्तत किया हैं। प्रत्यर्थी संख्या–2 के माता–पिता द्वारा विवाह के अवसर पर अपनी हैसियत से भी बढकर धूम–धाम से विवाह का कार्यक्रम सम्पन्न किया था तथा करीब 20 तौला वजनी सोने के जेवरात जिनमें प्रार्थीगण को चढाये गये जेवरात भी शामिल हैं। विवाह कार्यक्रम से पूर्व प्रार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्यां–2 के माता–पिता व करीबी लोगो के आपस में यह तय हुआ था कि सामाजिक रिती के रिवाजानुसार विवाह कार्यक्रम सामुहिक रूप से आयोजित किये जायेगें एवं उन आयोजनों पर होने वाले समस्त प्रकार के व्यय को आधा–आधा रूप से दोनो पक्षो को वहन करना था। इस प्रकार विवाह के समस्त कार्यक्रमो लेडिज संगीत, लाईट डेकोरेशन, फलावर डेकोरेशन जनरेट्र, सामुहिक भोजन 6 समय का व टैक्सी सर्विस, केटरिंग सर्विस, गार्डन बुंकिग आदि कार्यों पर प्रत्यर्थी संख्या–2 के पिता द्वारा कुल 20,00,000/–रू का खर्चा किया गया था एवं तयशुदा अनुसार आधी राशि का वहन प्रार्थीगण को करना था। विवाह के कार्यक्रम सम्पन्न होने पर प्रार्थीगण द्वारा आधी राशि देने हेतु सहमति दी जाती रही व आश्वासन दिया जाता रहा कि कार्यक्रम सम्पन्न होते ही राशि दे दी जावेगी किन्तु विवाह के पश्चात् इतनी लम्बी समय अवधि गुजर जाने के पश्चात् भी प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि का भुगतान प्रत्यर्थी संख्या–2 के पिता को नहीं किया गया हैं एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 के पिता द्वारा बार–बार याद दिलाने से चिढ कर प्रार्थीगण द्वारा यह कहा गया के आपने दहैज में कार नहीं दी हैं, इस कारण हम आपको तयशुदा राशि नहीं देगें। प्रत्यर्थी संख्या–2 के पिता द्वारा इस पर आपत्ति जताने पर एवं दहैज में कार देने बाबत कोई सहमति नहीं होने के कथन करने पर प्रार्थीगण प्रत्यर्थी संख्या–2 से दुर्भावना रखते है एवं येन–केन प्रकारेण प्रत्यर्थी संख्या–2 को आये दिन परेशान करते है एवं प्रार्थीगण द्वारा अपने इस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★ राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कृत्य में प्रत्यर्थी संख्या–1 (प्रत्यर्थी संख्या–2 के पति) को भी अपने षडयंत्र में शामिल कर आपस में दुरभी संधी कर प्रत्यर्थी संख्या–2 को नाजायज रूप से परेशान करने व प्रत्यर्थी संख्या–2 को जबरन घर से बेदखल करने की नीयत से यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, जो पूर्णतया रूप से खारिज किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी कम–2 द्वारा प्रार्थीगण के कृत्यों से परेशान होकर एक परिवाद माननीय न्यायालय ए०सी0एम0, कोटा के यहां धारा–107–116 सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत किया था और एक परिवाद माननीय न्यायालय ए0सी०जे०एम0 न०–2, कोटा के यहां प्रस्तुत किया था जिसमें प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना सुनते हुए माननीय न्यायालय द्वारा वास्ते कार्यवाही परिवाद थाना दादाबाडी, कोटा को प्रेषित कर दिया है, जिसमें अनुसंधान जारी है और एफआईआर संख्या–232/2022 प्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज की जा चुकी है। जिससे स्पष्ट है कि वास्तविक रूप में व्यथित पक्षकार प्रत्यर्थी कम–2 स्वंय है और प्रत्यर्थीगण द्वारा स्वंय प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रत्यर्थी कम–2 उनके पास मात्र कुछ दिन ही रही है तो प्रत्यथी कम–2 द्वारा प्रार्थीगण को परेशान करने का तथ्य स्वंय ही झूठा सिद्ध हो जाता है। प्रार्थीगण किसी भी रूप से व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में नही आते है और मात्र न्यायालय को भ्रमित करने हेतु और प्रत्यर्थी कम–2 को घर से निकालने हेतु इस प्रावधान का नाजायज फायदा उठाने हेतु यह याचिका असत्य आधारों पर प्रस्तुत की है, जिसमें 23–05–2022 की जिस घटना को आधार बनाया गया है उसके सम्बन्ध में दिनांक 23–05–2022 को प्रार्थीगण द्वारा स्वंय थाना दादाबाडी, कोटा में प्रभारी अधिकारी के समक्ष यह आश्वासन देकर प्रत्यर्थी कम–2 को 335, शास्त्री नगर दादाबाडी, कोटा के स्वनिवास पर ले जाया गया था कि प्रारथींगण, प्रत्यर्थी कम–2 को किसी भी रूप से परेशान नहीं करेंगे और उसे प्यार से रखेंगे और उसके पश्चात् भी प्राथीगण द्वारा यह झूठी याचिका प्रस्तुत कर दी गई है। प्रार्थीगण के पास तीन मंजिला परिसर जिसमें 04 फ्लेट (02 बैड रूम किचन) स्थित है के अलावा भू–तल पर 03 कमरे, एक डाईनिंग हॉल एक ड्रोईग हॉल, स्टोर, किचन आदि स्थित है। प्रार्थीगण के पास पर्याप्त रूप में निवास व रहन–बसर करने हेतु परिसर उपलब्ध है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में उक्त मकान से प्रर्थीगण को बैदखल कर किसी अन्य को बैचान करने का आरोप लगाया गया है किन्तु इस आरोप व प्रकरण में लगाये गये अन्य आरोपों के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत अथवा संलग्न नही की गई है, इस कारण प्रार्थीगण का कोई भी आरोप साबित नही होता है। इस कारण भी प्राथीगण का प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने असत्य तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या–2 को परेशान करने की नीयत से यह प्राथेना पत्र प्रस्तुत किया है। इस कारण प्रत्यर्थी कम–2 को प्रार्थीगण से 20,000/– रूपये विशेष हर्जा दिलवाया जावे।

तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से दौराने बहस अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मीना विजय, प्रभूदयाल विजय, सुश्री लाजवन्ती सितलानी, लहरी कुमार जैन, भूपेन्द्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

सिह राजावत के शपथ पत्र, अप्रार्थी न0 2 के विरूद्ध दर्ज एफ0आई0आर0 नं0 0200 की प्रति, फोटोप्रति मकान 335 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा की रजिस्ट्ररी, प्रार्थी मनोहरलाल व हेमलता के विरूद्ध दर्ज एफ0आई0आर0 नं0 0232 की प्रति प्रस्तुत किये। अप्रार्थी नं0 2 की ओर से अपने कथनों के समर्थन में श्री नीरज कटारिया, मोनू बरार, अनिल गोयल, प्रताप राम के शपथ पत्र, प्रार्थी मनोहरलाल व हेमलता के विरूद्ध दर्ज एफ0आई0आर0 नं0 0232 की प्रति, अग्रिम जमानत का आवेदन पर माननीय न्यायालय महिला उत्पीड़न कम 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2022 की प्रति, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश महोदय कोटा की प्रति पेश किये। उभयपक्ष की ओर से अपने अपने समर्थन में पेन ड्राईव भी पेश किये।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया है कि प्रत्यार्थी कम–2 अपने माता – पिता के बहकावे में आकर प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करती है, घर का कोई कार्य नही करती एवं दुरव्यवहार करती है तथा अपने माता–पिता को भी बुलाकर प्रार्थीगण के साथ झगडा करते है इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण को भारी मानसिक एवं शारीरिक आघात हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा एक इस्तगासा प्रत्यार्थी कम–2 व उसके माता–पिता व अन्य 10–15 व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय एसीजेएम कम–2 कोटा में धारा–323,341,392,394 आईपीसी के तहत प्रस्तुत किया जिसके उपरान्त प्रत्यार्थी कम–2 ने प्रार्थीगण के साथ दुव्यवहार किया। इसके प्रार्थीगण द्वारा यह भी कथन किया है कि प्रार्थीगण के पास आय का कोई साधन नही है मात्र पेंशन आती है जिसमें खर्चा नही चलता है। प्रार्थीगण के उक्त कथनों का खण्डन करते हुये अप्रार्थी नं0 2 की ओर से कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को परेशान करने की दुर्भावना से प्रार्थी संख्या 1 श्री मनोहरलाल प्रत्यर्थी संख्या 2 के रसोई में अकले कार्य करने के दौरान, रसोई में घूसकर प्रत्यर्थी संख्या–2 की मोबाईल से रिकोर्डिंग करता, जिसका विरोध करने पर प्रार्थी संख्या–1 रसोई के गेट पर व्यायाम करने का नाटक करता एवं बीचो बीच खडे होकर प्रत्यर्थी संख्या 2 को आने जाने में बाधा उत्पन्न करता था। जिसकी शिकायत प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी संख्या 2 श्रीमती हेमलता व अपने पति प्रत्यर्थी संख्या 1 तथा ननद मनीषा को करने पर सभी लोग सामुहिक रूप से प्रत्यर्थी संख्या 2 को ही दोष देते थे एवं प्रार्थी संख्या 1 मनोहरलाल को किसी प्रकार से नहीं समझाते थे। प्रार्थीगण के पास आय के पर्याप्त साधन है। प्रार्थी संख्या–1 सरकारी सेवा से सेवानिवृत कर्मचारी हैं, जिसे करीब 60,000/–रू मासिक रूप से पेशंन प्राप्त होती हैं एवं अपने मकान में स्थित परिसर को किराये पर देने से किराये के रुप में करीब 40,000/– रूपये प्राप्त होते है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नं0 2 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में पैन ड्राईव प्रस्तुत किया है। पैन ड्राईव को साक्ष्य के रूप से ग्राह्य तो नही किया जा सकता है परन्तु न्यायालय के अभिमत के निर्धारण में सुविधा तथा न्याय निर्णयन के लिए मार्गदर्शन जरूर लिया जा सकता है। प्रार्थीगण के ओर से प्रस्तुत पैन ड्राईव के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों की

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

किसी प्रकार से पुष्टि नही होती है कि अप्रार्थी नं0 2 द्वारा प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार करती है तथा अपने माता–पिता को भी बुलाकर प्रार्थीगण के साथ झगडा करते है। अप्रार्थी नं0 2 की ओर से प्रस्तुत पैन ड्राईव के अवलोकन से अप्रार्थी नं0 2 द्वारा किये गये कथनों की स्पष्ट पुष्टि होती है कि प्रार्थी संख्या 1 श्री मनोहरलाल प्रत्यर्थी संख्या 2 के रसोई में अकले कार्य करने के दौरान, रसोई में घूसकर प्रत्यर्थी संख्या 2 की मोबाईल से रिकोर्डिंग एवं प्रार्थी संख्या 1 रसोई के गेट पर व्यायाम करने का नाटक करता है। प्रार्थी कम 1 अप्रार्थी कम 2 का ससुर है जिनका अपनी पुत्रवधु का मोबाईल से रिकोर्डिग करना उचित नही है। इस तथ्य के कारण प्रार्थी नं0 1 के कृत्य को सही नही कहा जा सकता है। पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश महोदय कोटा की प्रति के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि प्रार्थीगण के पुत्र (अप्रार्थी नं0 1) एवं पुत्रवधु (अप्रार्थी नं0 2) के मध्य संबंध मधुर नही है जिस कारण से अप्रार्थी नं0 2 द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत होते है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने इस कृत्य में अप्रार्थी संख्या 1 (अप्रार्थी संख्या 2 के पति) को भी अपने षडयंत्र में शामिल कर आपस में दुरभी संधी कर अप्रार्थी संख्या 2 को नाजायज रूप से परेशान करने व अप्रार्थी संख्या 2 को जबरन घर से बेदखल करने की नीयत से यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्षकारान के मध्य अन्य सिविल केस न्यायालय ए0सी0जे0एम0 कम 2 एवं न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश महोदय कोटा में जैरकार है जिस कारण से भी हस्तगत प्रकरण पारिवारिक हिंसा से सम्बंधित प्रतीत होता है। प्रार्थी कम 1 सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी है जिससे प्रार्थीगण को पेंशन प्राप्त होती है। प्रार्थीगण के पास आय के पर्याप्त साधन उपलब्ध है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम स्वीकार कर किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 26/8/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा